बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पत्रांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/26

कार्यालय आदेश

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण कराये जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के संबंध में श्री अजीत कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत–मकरपुर, प्रखण्ड–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद का परिवाद विभाग को प्राप्त हुआ है।

अतएव इस संदर्भ में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन में उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए विभाग स्तर से स्थल Verification करने के लिए विभाग स्तर पर जाँच दल का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है :–

क्र०सं०	नाम	पदनाम	आवंटित पंचायत
1	(i) **श्री वसीम अहमद**	**विशेष कार्य पदाधिकारी**	**प्रखण्ड मखदुमपुर**
	(ii) श्री निखिल राय	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	ग्राम पंचायत–मकरपुर जिला–जहानाबाद

निदेशानुसार उपर्युक्त गठित जाँच दल दिनांक 04-06-2026 को ग्राम पंचायत–मकरपुर, प्रखण्ड–मखदुमपुर, जहानाबद में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का स्थलीय Verification कर प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में विभाग को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

ह० 1/6/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/26

प्रतिलिपि : गठित जाँच दल के सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 1/6/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 02/6/26

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 1/6/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक..........

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को कार्यपालक अभियंता, जहानाबाद को स्थल पर उपस्थित रहने का निदेश देने की कृपा करेंगे।

(नजर हुसैन) 1/6/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 2/6/26

प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त जाँच दल को यथावश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(नजर हुसैन) 1/6/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 2/6/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 1/6/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 2/6/26

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 1/6/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 2/6/26

प्रतिलिपि : निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त गठित जाँच दल हेतु विभाग स्तर से वाहन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(नजर हुसैन) 1/6/26
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/पं०स०भ०–17–20/2025(पार्ट 1)/8444/पं०रा० पटना, दिनांक 2/6/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 1/6/26
अपर सचिव

सचिव
पंचायती राज विभाग
गोपनीय कोषांग
ई-ऑफिस डायरी सं0 5593605
तिथि 13/5/26

(180)

कार्यालय ग्राम पंचायत राज, मकरपुर, प्रखण्ड–मखदुमपुर (जहानाबाद)

पत्र संख्या– 07/26, दिनांक– 13/05/2026

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत–मकरपुर में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन में उत्पन्न विवाद के समाधान के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नांकित तथ्य भवदीय के अवलोकनार्थ एवं नियमसंगत आदेशार्थ समर्पित करते हुए विनम्रतापूर्वक कहना है :–

1. यह कि जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत, मकरपुर में पंचायत सरकार भवन निर्माण की महत्वकांक्षी योजना अनुमोदित एवं स्वीकृत है, परन्तु अंचल अधिकारी, मखदुमपुर द्वारा भूमि चयन के बिन्दु पर विरोधाभाषित स्थिति उत्पन्न किये जाने के कारण पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना वर्ष–2024 से ही अधर में पड़ी हुई है तथा कतिपय राजनीति प्रेरित व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर अनुमोदित योजना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो निश्चय ही आपत्तिजनक एवं खेदजनक है।
2. यह कि उक्त पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भवदीय पत्रांक–14480/पं0रा0, दिनांक–27.10.2023 के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–2478/जि0पं0, दिनांक–02.11.2023 द्वारा मौजा–मकरपुर, थाना नं0–268 स्थित खाता सं0–199 के खेसरा सं0–399 में भूमि का चयन करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विहित प्रपत्र–I, II एवं III में पंचायती राज विभाग, पटना को प्रतिवेदित तथा अनुशंसित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति साक्ष्यस्वरूप संलग्न है।
3. यह कि जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के उपर वर्णित पत्रांक–2478/जि0पं0, दिनांक–02.11.2023 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में चयनित एवं चिह्नित भूमि यथा खाता सं0–199, खेसरा सं0–399, रकबा 66 डि0 पर "पंचायत सरकार भवन" निर्माण हेतु विभागीय निविदा भी हो चुकी थी, क्योंकि इसी चिह्नित भूमि पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए सम्बंधित पदाधिकारियों को संसूचित किया गया था। (ग्राम सभा दिनांक–06.01.2022 में पारित प्रस्ताव सं0–07 की छायाप्रति साक्ष्यस्वरूप संलग्न है)
4. यह कि चिह्नित एवं चयनित भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण की कार्रवाई आरम्भ होने से पूर्व पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति विरोधी मानसिकता रखने वाले कतिपय स्थानीय राजनीति प्रेरित व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए पूर्व से चयनित खेसरा सं0–399 से अलग हटकर खेसरा सं0–1218 पर भवन निर्माण के लिए अवांछनीय प्रयास किया जाने लगा, जिसमें वर्तमान अंचल अधिकारी, मखदुमपुर श्री रंजीत

उपाध्याय की भी अहम भूमि परिलक्षित रही है, अन्यथा पूर्व में जिला पदाधिकारी जैसे जिला के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा विभाग को भेजे जा चुके प्रस्ताव एवं अनुशंसा के विपरीत भिन्न स्थान पर पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए अंचल अधिकारी, मखदुमपुर द्वारा स्वतः नये स्थान के चयन करने की कदापि कोई आवश्यकता नहीं थी।

5. यह कि अंचल अधिकारी, मखदुमपुर द्वारा नवचयनित भूमि यथा खेसरा सं०–1208 के विरूद्ध पंचायत क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं आम लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त किये जाने के पश्चात पुनः अंचल अधिकारी, मखदुमपुर ने पूर्व से चयनित एवं चिह्नित खेसरा सं०–399 को ही पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था, क्योंकि वास्तव में खेसरा सं०–399 से उपयुक्त कोई अन्य स्थान पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए पंचायत मुख्यालय में उपलब्ध नहीं था।

6. यह कि इसी क्रम में स्थानीय राजनीति प्रेरित व्यक्तियों द्वारा अंचल अधिकारी, मखदुमपुर को फिर से उत्प्रेरित किये जाने के पश्चात उन्होंने एक अलग खेसरा सं०–1908 पर पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने के लिए पुनः संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जो पूर्णतः अव्यवहारिक, असुविधाजनक एवं जनहित की आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। इस सम्बंध में भवदीय का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि अंचल अधिकारी, मखदुमपुर द्वारा पुनः प्रस्तावित एवं प्रतिवेदित खेसरा सं०–1908 की कुल एराजी मात्र 29 डि० है, जो पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि से काफी कम है। इसी प्रकार प्रस्तावित खेसरा सं०–1908 राजस्व मौजा–मकरपुर में अवस्थित रहने के बावजूद मुख्य गाँव एवं उसके आस–पास की जनआबादी से दूरस्थ एवं सुनसान स्थान पर अवस्थित है, जहाँ केवल कृषि कार्य के लिए ही लोगों का आना–जाना होता है। यदि अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित खेसरा सं०–1908 पर पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया जाता है, तो यह जनहित के सर्वथा विपरीत होगा, क्योंकि इस स्थान पर पंचायत के निवासियों को आने–जाने के लिए भी कोई सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा सुनसान स्थान पर अवस्थित होने के कारण पंचायत सरकार भवन से सम्बद्ध कर्मियों के आवासन में भी कठिनाई उत्पन्न होने सहित यहाँ स्थापित विभिन्न कार्यालयों/प्रकोष्ठों में उपलब्ध सरकारी सम्पत्ति के चोरी होने अथवा क्षतिग्रस्त किये जाने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

7. यह कि अंचल अधिकारी, मखदुमपुर द्वारा जिस खेसरा सं०–1908 पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अनावश्यक तथ्य दर्शाकर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, वह स्थान ग्राम पंचायत की आमसभा द्वारा अनुमोदित नही है, जबकि पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु चयनित स्थान के सम्बंध में ग्राम पंचायत आम सभा के द्वारा ही उपयुक्त स्थान का चयन करते हुए प्रस्ताव पारित करने का प्रावधान है। स्थापित कार्य प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा द्वारा चयनित एवं अनुमोदित स्थान के सम्बंध में आम सभा से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात मुखिया/पंचायत सचिव द्वारा लिखित अनुरोध किये जाने पर ही अंचल अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है, जबकि विषयगत मामले में खेसरा सं०–1908 के चयन हेतु ग्राम सभा द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नही किए जाने

तथा स्थानीय मुखिया द्वारा इसके लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मांग नहीं किए जाने के बावजूद अंचल अधिकारी, मखदुमपुर द्वारा स्थानीय राजनीतिक गतिविधि में संलिप्तता का अवांछनीय परिचय देते हुए मनमाने ढंग से एवं पंचायत के अनुरोध के बिना संशोधित स्थान पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण बहुत संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जो पंचायत के बहुसंख्यक सामाजिक वर्ग के लिए कदापि स्वीकार योग्य नहीं है।

8. यह है कि माननीय मंत्री, पंचायत राज विभाग, बिहार के अध्यक्षता में जहानाबाद में विभागीय पदाधिकारियों के साथ 20.03.2026 को समीक्षात्मक बैठक की कारवाई की गई जिसमें पारा सं0–15 में मकरपुर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु स्पष्ट निर्देश दिया कि पूर्व में चयनित जमीन पर सरकार भवन का निर्माण किया जाय। इसके उपरान्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक–662 दिनांक–10.04.2026 को अपर समाहर्त्ता जहानाबाद को माननीय मंत्री के निर्देशानुसार प्लॉट–399, खाता सं0–199, एराजी–66 डी0 पर बनाने हेतु प्रस्ताव मांगा गया। इसके बावजूद जिलाधिकारी द्वारा माननीय मंत्री जी के आदेश को दरकिनार करते हुए दूसरे खाता, प्लॉट को चयनित करके भेज दिया है, जो जनहित के हित में नहीं है।

9. यह है कि जिलाधिकारी द्वारा जो खाता, प्लॉट सं0 का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजा गया है उस खाता संख्या पर माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-3876/2026 लंबित है। इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा मनमानी रवैया एवं जान–बूझ कर जनहित में पंचायत सरकार भवन न बनाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि जनहित में नहीं है।

10. यह है कि उपर वर्णित तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों से स्वतः स्पष्ट है कि पंचायती राज विभाग, पटना के पत्रांक–14480/पं0रा0, दिनांक–27.10.2023 के आलोक में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पूर्ववर्त्ती पत्रांक–2478/जि0पं0 दिनांक–02.11.2023 द्वारा विहित प्रपत्र–I, II एवं III में भेजे गए प्रस्ताव एवं तत्संबंधी अनुशंसा के आलोक में पूर्व चयनित स्थल यथा खाता सं0–199, खेसरा सं0–399, कुल एराजी–45+21=66 डी0 में ही पंचायत सरकार भवन, मकरपुर का निर्माण कराया जाना जनहित के दृष्टिकोण से उपयुक्त तथा सुविधाजनक है। यदि पूर्व चयनित खेसरा नं0–399 से भिन्न स्थान पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया जाता है तो पंचायत की आम जनता विशेष रूप से

पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग एवं कमजोर सामाजिक वर्ग के ग्रामीणों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो सकती है।

अतः विनम्र सादर अनुरोध है कि कृपया इस अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों के आलोक में बहुसंख्यक जनहित को दृष्टिपथ रखते हुए जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पूर्व प्रेषित प्रस्ताव एवं चिन्हित भूमि यथा खेसरा नं0–399 पर ही पंचायत सरकार भवन, मकरपुर का निर्माण कराने हेतु विभाग के स्तर से स्थानीय पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि पंचायत सरकार भवन निर्माण की अवधारणा जमीनी सतह पर साकार हो सके तथा पंचायत क्षेत्र के आमलोग इससे यथापेक्षित लाभान्वित हो सके।

सादर समर्पित।

अनुलग्नक–यथोक्त..13 पृष्ठ।

भवदीय

(अजित कुमार)

मुखिया

ग्राम पंचायत मकरपुर

प्रखण्ड–मखदुमपुर (जहानाबाद)।

मो0नं0–7306509862

समाहरणालय, जहानाबाद

[illegible]

पत्रांक–[illegible] /जिला [illegible] दिनांक–[illegible]

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक–14480/पं०रा०, दिनांक–27.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र I, II एवं III में प्रतिवेदन की मांग की गई है।

प्राप्त पत्र से जहानाबाद जिला का वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र I, II एवं III में संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

2/11/23

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

जिला का नाम :— जहानाबाद।

चिह्नित प्रपत्र—II

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	अवशेष बचे पंचायत का नाम (अवशेष स्वच्छ)	अवशेष सत्ता के विरुद्ध चिन्हित भूमि						
			मौजा का नाम	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	भूमि का किस्म	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	जहानाबाद	जामुक	वलवा	10	105	403	0.40 ए०	गैर मजरुआ मालिक	भूमि चिन्हित [illegible]
2		फिनारी	मखदुमपुर	400	105	624	0.40 ए०	गैर मजरुआ मालिक	भूमि चिन्हित [illegible]
3		तरसा	तरसा	360	236	791	0.40 ए०	गैर मजरुआ मालिक	भूमि चिन्हित [illegible]
4	मखदुमपुर	पुनहदा	पुनहदा	357	165	1464	0.50 ए०	गैर मजरुआ परती कदीम	भूमि चिन्हित [illegible]
5		कलागीर	कलागीर	321	421	3571	0.50 ए०	गैर मजरुआ [illegible] परती	भूमि चिन्हित [illegible]
6		पुनेरा	पुनेरा	621	552	3759	0.50 ए०	गैर मजरुआ आम परती	भूमि चिन्हित [illegible]
7		बेला [illegible]	बेला [illegible]	[illegible]	[illegible]	734	0.50 ए०	गैर मजरुआ मालिक	भूमि चिन्हित [illegible]
8		नकरपुर	नकरपुर	268	199	399	0.45 ए०	गैर मजरुआ मालिक	भूमि चिन्हित [illegible]
9		रामपुर	रामपुर	259	140	632	0.50 ए०	रैयती ठाकुरबाड़ी	भूमि चिन्हित [illegible]
10		धराउत	धराउत	652	480	3412	0.50 ए०	गैर मजरुआ आम परती कदीम	भूमि चिन्हित [illegible]
11		[illegible]	[illegible]	653	766	4098	0.90 ए०	गैर मजरुआ आम रास्ता	भूमि चिन्हित [illegible]

(175)

कार्यालय अंचल अधिकारी, मखदुमपुर,(जहानाबाद)

पत्रांक :– 1137 ई–मेल:–co.mak.jeh.bih@gmail.com

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
मखदुमपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

मखदुमपुर, दिनांक 08/07/ 2024

विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण के संबंध मे संयुक्त प्रतिवेदन।
प्रसंग : भवदीय पत्रांक–1137, दिनांक–04.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे सादर सूचित करते हुए कहना है कि भवदीय पत्रांक 1137, दिनांक–04.07.2024 के द्वारा गठित संयुक्त दल के द्वारा पंचायत में भूमि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतू भूमि का जॉच किया गया था। जॉचोंपरांत पाया गया कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतू भूमि अनुपलब्ध है जिसके कारण पंचायत में भूमि का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है:–

मौजा/ थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	खतियानी रकवा	भूमि का किस्म	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
सुमेरा/	582	3759	3 एकड़ 16 डी0	गैरमजरूआ आम	पूर्व मे एक पेड के कारण विवाद था। स्थल का सीमांकन करा दिया गया है। एक पेड के काटने की आवश्यकता है।
रामपुर/	459	2426	60 डी0	गैरमजरूआ मालिक परती कदीम	पूर्व मे दिये गये प्लॉट किस्म ठाकुरवाड़ी होने के कारण दूसरे प्लॉट की खोज की गयी। जिसका खाता प्लॉट दर्ज है।
मकरपुर/	199	1218	5 एकड़ 5 डी0	गैरमजरूआ मालिक	पूर्व मे दिये गये प्लॉट पर मंदिर एवं अतिक्रमण होने के कारण मकरपुर मौजे मे ही उक्त जमीन दी जा रही है।
पुनहदा/	134	432	8 एकड़ 24 डी0	गैरमजरूआ मालिक	पुनहदा मौजे मे निर्विवादित एवं उपयुक्त भूमि न होने के कारण उक्त खाता, प्लॉट, मौजा नौगढ मे दी जा रही है।

D:\Letter\Letter\YEAR 2024\Mix Letter 2024

854

(173)

कार्यालय अंचल अधिकारी, मखदुमपुर(जहानाबाद)

आदेश पत्रक अभिलेख संख्या ....

अभिलेख के प्रकारः– हस्तनांतरण से संबंधित

पंचायत– मकरपुर, मौजा– मकरपुर, थाना संख्या 268

आदेश कि सं० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई टिप्पणी
1/08/2024		

— पंचायत सरकार भवन हेतु हस्तनांतरण का प्रस्ताव राजस्व कर्मचारी श्री सेराजुल हक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से स्थानीय जॉचोपरान्त राजस्व कागजातो के आधार पर मिलान कर के विहित प्रपत्र में ग्राम मकरपुर, थाना संख्या 268 खाता संख्या 199, खेसरा संख्या 1218, कुल रकवा 5 एकड 05 डी० जो सी०एस० खतिया में गैरमजरूआ मालिक किस्म जमीन जंगल दर्ज है। उसमें पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु हस्तनांतरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसका भूमि का विवरण इस प्रकार है।

मांगित प्रस्ताव	मौजा का नाम एवं थाना नं०	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	वर्तमान भूमि का प्रकार	चौहद्दी
पंचायत सरकार भवन	मकरपुर 268	199	1218	36 डी०	गैरमजरूआ मालिक किस्म जमीन जंगल	उ0– प्लॉट का शेष भाग द0– रास्ता पु0– प्लॉट का शेष भाग प0– प्लॉट का शेष भाग

पंचायत सरकारी भवन निर्माणहेतु हस्तनांतरण का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया। उपरोक्त खाता, एवं खेसरा की शेष जमीन 4 एकड 69 डी0 है। प्रस्तावित हस्तनांतरण की जमीन गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल है। जिस पर कोई पेड नहीं है। यह भूमि सैरात, शमशान, कब्रीस्तान, अतिक्रमण एवं जल श्रोत से मुक्त है। यह विवाद न्यायालय से मुक्त है। आम सूचना का तामिला अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित जमीन पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हस्तनांतरण के विरूद्ध किसी प्रकार के आपति किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया।

मेरे द्वारा स्वय दिनांक 09/02/24 को हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के साथ स्थलीय जॉच किया गया। प्रश्नगत भूमि के सबध में स्थानीय व्यक्तियों से पूछ–ताछ किया गया। किसी भी व्यक्ति ने हस्तनांतरण के विरूद्ध आपत्ति नही की है। प्रश्नगत हस्तनांतरण की जमीन पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद का पत्रांक 1683, दिनांक 29.07.2022 के आलोक में पंचायत सरकार निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मॉग की गई है।

स्थानीय जॉच एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरिक्षक के अनुशंसा के आलोक में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु 36 डी0 जमीन हस्तनांतरण हेतु स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। हस्तनांतरण की जमीन की चौहदी प्रस्ताव/प्रतिवेदन में एवं लगान प्रति एकड 10 रू0 अलावे शेष के दर से सलामी देय नहीं है। क्योंकि प्रस्तावित भूखण्ड पूर्व में हस्तनांतरण का प्रस्ताव दिया गया था। जो विवादित होने के कारण पंचायत सरकार भवन का निर्माण नही हो सका।

हस्तनांतरण के लिए प्रस्तावित जमीन की खतियान की सच्ची प्रतिलिपि तीन प्रति अंचल अमीन द्वारा तैयार की गई नजरिक नक्शा की तीन प्रति चेक स्लिप सही –सही भरकर तीन प्रति में अभिलेख में संलग्न कर अभिलेख अग्रेतर कार्यवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

22/08/24

अंचल अधिकारी,
मखदुमपुर।

22/08/24

अंचल अधिकारी
मखदुमपुर।

कार्यालय अंचल अधिकारी, मखदुमपुर,(जहानाबाद)।
ई–मेल:–co.mak.jeh.bih@gmail.com

पचायत सरकार भवन हेतु चयनित भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन

क्र0	पंचायत का नाम	मौजा का नाम एवं थाना संख्या	पूर्व मे चयनित भूमि का ब्योरा				नये चयनित भूमि का ब्योरा					अभ्युक्ति
			खाता	प्लॉट	रकवा	किस्म	मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खाता	प्लॉट	रकवा	किस्म	
	धराउत	धराउत 652	485	614	50 डी0	गैरमजरूआ माकिरदार परती कदीम	धराउत 652	485	4645	50	गैरमजरूआ माकिरदार परती कदीम	पंचायत मुख्यालय से काफी दूर होने के कारण विवाद
	मकरपुर	मकरपुर 268	199	1218	36 डी0	गैरमजरूआ मालिक किस्म जमीन जंगल	मकरपुर 268	199	399	66	गैरमजरूआ मालिक परती कदीम	जंगल रहने के कारण
3	रामपुर	रामपुर 259	459	2426	60 डी0		छतियाना 258	520	2485	50 डी0	गैरमजरूआ मालिक परती कदीम	पूर्व से महेन्द्र पासवान एवं अन्य को बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव दिया गया।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन
ह0
अंचल अधिकारी,
मखदुमपुर।

ज्ञापांक 1933 दिनांक 23/11/24

प्रतिलिपि : जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जहानाबाद को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

23/11/24
अंचल अधिकारी,
मखदुमपुर।

अजित कुमार
मुखिया
ग्राम पंचायत- मकरपुर
प्रखण्ड- मखदुमपुर (जहानाबाद)
पिन- 804422

आवास
ग्राम- पाँपु, पो०- मकरपुर
थाना- मखदुमपुर (जहानाबाद)
पिन- 804422
Mob : 7306509862
Email : kumar_ajit95@yahoo.com

जिला पदाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद
परिगमण शाखा
2 JAN 2026
प्राप्ति सं०..........

पत्रांक : 167/25 दिनांक : 22/12/2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

जहानाबाद

विषय :- पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु भूमि चयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में यह कहना है कि ग्राम पंचायत मकरपुर में पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु खाता नं० 199 प्लाट सं० 399 रकबा 66 डिसमिल ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा में पारित होने के उपरांत तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत उक्त प्लाट पर सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव निदेशक पंचायती राज पदाधिकारी पटना को पत्रांक 247 दिनांक 02/11/2023 को भेज दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है और उसी प्लाट पर भवन निर्माण हेतु Tender किया गया है। परन्तु वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा मनमानी तरीका से नियम के विरुद्ध जंगल किस्म का जमीन भेजा गया जिसे ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निरस्त कराया गया। उसके बाद अंचलाधिकारी द्वारा पुनः ग्राम पंचायत द्वारा पारित जमीन को पत्रांक 1933 दिनांक 23/11/24 भेजा गया। इसके बाद पुनः मनमानी तरीका से ग्राम पंचायत के बिना अनुशंसा एवं ग्राम सभा से बिना पारित हुए दूसरे प्लाट पर अनुशंसा की जा रही है जबकि पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3578 दिनांक 17/06/2013 के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के किसी भी जमीन को स्थानीय मुखिया से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार की उपस्थिति में आमसभा की कार्यवाही तथा जमीन की उपयुक्तता की जांचोपरांत विहित दिशा निर्देशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकार को [illegible] की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिलाधिकारी महोदय से [illegible] पंचायत सरकार भवन का [illegible] करते हैं [illegible]

राजेश
04/01/26

अजित कुमार
मुखिया
ग्राम पंचायत- मकरपुर
प्रखण्ड- मखदुमपुर (जहानाबाद)
पिन- 804422

आवास
ग्राम- पाँपु, पो०- मकरपुर
थाना- मखदुमपुर (जहानाबाद)
पिन- 804422
Mob : 7306509862
Email : kumar_ajit95@yahoo.com

पत्रांक : 167/25 दिनांक : 22/12/2025

का कष्ट करें ताकि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरे ग्राम वासी के हित मे हो :—

(1) पूर्व में चयनित जमीन खाता न० 199 प्लाट सं० 399 जाटावर मेन रोड पर अवस्थित है एवं ग्राम पंचायत मकरपुर के राजस्व में आता है।

(2) ग्राम पंचायत मकरपुर के 14 वार्ड में से 09 वार्ड NH-83 से पश्चिम की तरफ अवस्थित है जिसका आवागमन का रास्ता जाटावर रोड से है। जबकि अभी अंचलाधिकारी द्वारा चयनित जमीन पर 09 वार्ड को आने के लिए 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा जोकि पंचायत के अहित मे है।

(3) ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्यो के ERT वार्ड सभा से भी सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित प्लाट 399 पर ही प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसका कापी संलग्न है।

(4) सुरक्षा के दृष्टिकोण से चयनित जमीन पूर्णत: सुरक्षित है एवं अभी चयनित किया जा रहा असुरक्षित है क्योंकि एकांत में है।

(5) सरकार के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पंचायत सरकार भवन रोड के समीप बनाया जाए ताकि ग्राम पंचायत के हित में हो।

अत: श्रीमान से नम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत के अहमियत के नाते एवं ग्रामीणो के सुविधा के अनुसार चयनित खाता सं० 199 प्लाट सं० 399 को आप स्वयं स्थल निरीक्षण कर भूमि का चयन करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में ग्राम पंचायत वासी को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान करते आप से आग्रह है कि उचित एवं न्यायसंगत निर्णय लेने का कष्ट करे इसके लिए मैं ग्राम पंचायती वासी की तरफ से आभार रहूँगा।

(हस्ताक्षर)
मुखिया
ग्राम पंचायत मकरपुर
प्रखण्ड--मखदुमपुर (जहानाबाद)

पंचायत सरकार भवन की भूमि को लेकर मकरपुर में विवाद

[illegible]

[illegible] ग्राम पंचायत मकरपुर में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में ग्राम सभा से सर्वसम्मति से पारित भूमि को नजरअंदाज कर नियमों के विरुद्ध किसी अन्य स्थान पर भवन निर्माण की अनुशंसा की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु रैयती भूमि खाता संख्या 199 प्लॉट संख्या 399, रकबा 66 डिसमिल को ग्राम सभा से विधिवत प्रस्ताव पारित कर चयनित किया गया था। उक्त भूमि पर तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया था। इसके बाद निदेशक, पंचायती राज विभाग,पटना पत्रांक 2478 दिनांक 02 नवंबर 2023 के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर भवन निर्माण हेतु टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध जंगाप किस्म की भूमि की अनुशंसा की गई थी, जिसे आपत्ति के बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात पुनः अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व में पारित भूमि को ही पत्रांक 1933 दिनांक 23 नवंबर 2024 के माध्यम से भेजा गया। बावजूद इसके अब ग्राम पंचायत की अनुशंसा और ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना किसी अन्य प्लॉट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में चयनित भूमि वाणावर मेन रोड पर स्थित है, जो पंचायत के सभी 14 वार्डों के लिए सुगम एवं सुरक्षित है। जबकि प्रस्तावित नई भूमि एकांत स्थान पर है, जहाँ पहुँचने के लिए 9 वार्ड के लोगों को लगभग 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुए हैं और

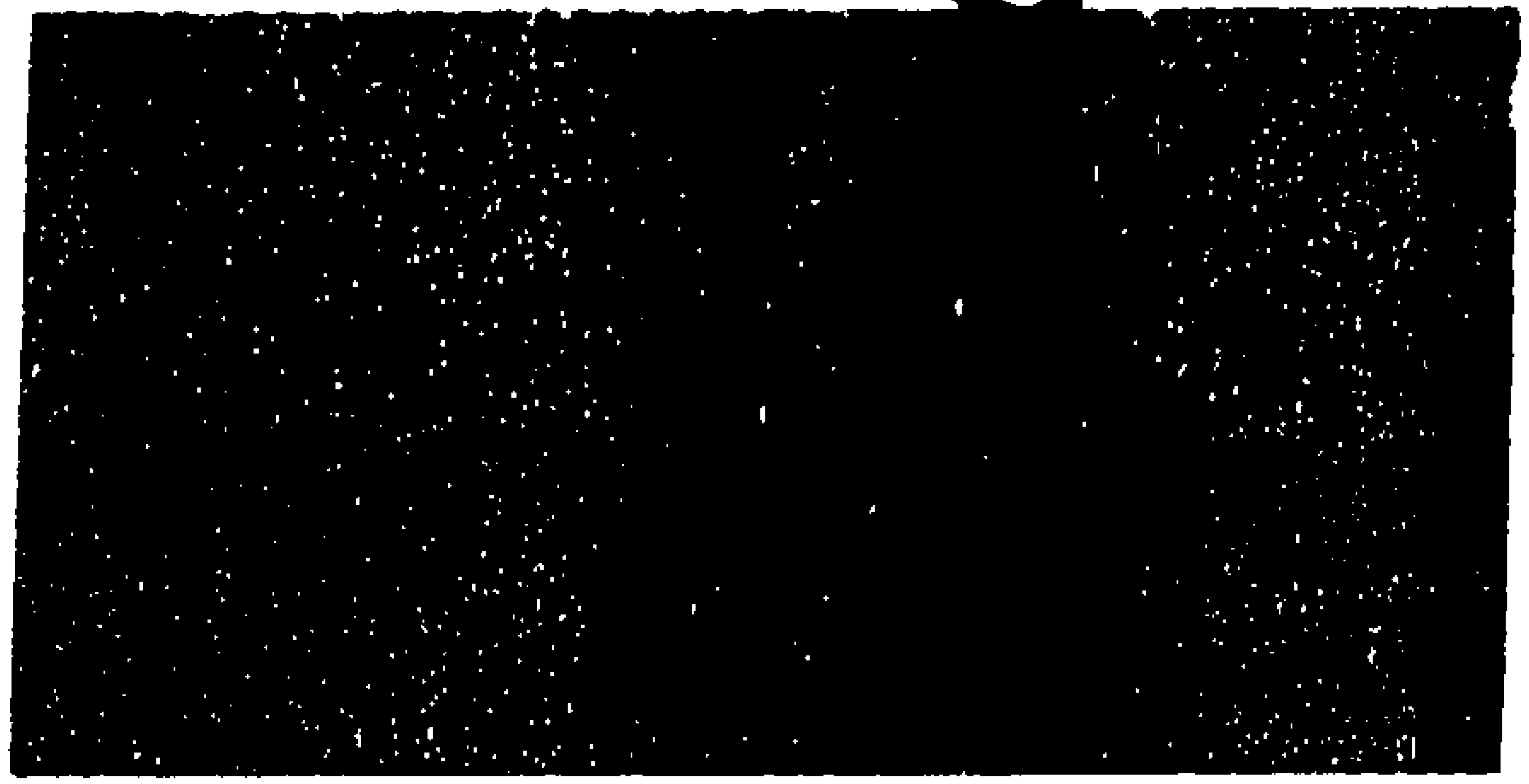

» डीपीआरओ ने दिया स्थल निरीक्षण का आश्वासन

सभी बिंदुओं पर विधिवत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस स्थल पर भवन निर्माण की बात हो रही है, वहाँ पहले से एक मंदिर स्थित होने की जानकारी मिली है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वे मंदिर हटाने के लिए सहमत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थल निरीक्षण के बाद, ग्रामीणों की मांग, एनओसी और नियमों के आलोक में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्व में ग्राम सभा द्वारा चयनित प्लॉट संख्या 399 पर ही कराया जाए, ताकि यह पूरे पंचायत के हित में हो सके।

[illegible]

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत है :-

(i) उप विकास आयुक्त, जहानाबाद।
(ii) विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
(iii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।
(iv) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।
(v) कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद।
(vi) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद।
(vii) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला।
(viii) सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद जिला।

2. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के द्वारा सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

3. **मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :-** सोलर लाईट वेयर हाउस-सह-सर्विस सेंटर, टेहटा-सरेन पथ, एन०एच०-22, थाना-मखदुमपुर, प्रखंड मखदुमपुर में अवस्थित है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अन्तर्गत जिले में चतुर्थ चरण का कार्य प्रगति पर है। जिसमें 3172 सोलर स्ट्रीट लाईट के विरूद्ध 1416 SSL अधिष्ठापित किया जा चुका है। माननीय मंत्री द्वारा चतुर्थ चरण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। साथ ही नियमित रूप से वेयर हाउस का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट के कार्य नहीं करने की सूचना प्राप्त होने पर 72 घंटे के अन्दर लाईटों को सही करा लिया जाय। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि एजेंसी द्वारा वेयर हाउस में मानक के अनुरूप 10% अतिरिक्त सोलर लाईट भंडारित है या नहीं की जाँच नियमित तौर पर करेंगे।

(अनुपालन :- सभी चयनित एजेंसी/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

4. **सोलर स्ट्रीट लाईट एजेंसी पर जुर्माना :-** सोलर एजेंसी फोटोनिक्स वाटरटेक, प्रा०लि० पर द्वितीय चरण अन्तर्गत कुल राशि 35,26,949.00 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। राशि की कटौति भुगतान के पूर्व की कर ली गई है।

(अनुपालन :- संबंधित एजेंसी)

5. **जिला परिषद् जहानाबाद अन्तर्गत 16वीं वित्त आयोग :-** जिला परिषद् जहानाबाद अन्तर्गत 15वीं वित्त आयोग से संबंधित भुगतान की समीक्षा की गई। कुल व्यय 29% पाया गया। समीक्षा के क्रम में भुगतान कम होने के कारण तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद)

6. **षष्टम वित्त आयोग से संबंधित व्यय :-** बैठक मे षष्टम वित्तीय व्यय की समीक्षा किया गया। जिसमे जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत समिति में 72.84% एवं ग्राम पंचायतो में 75.31 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया, जिसपर माननीय मंत्री जी के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि कुल व्यय की राशि 23.37 प्रतिशत है। माननीय मंत्री जी द्वारा कम व्यय किये गये राशि के संबंध में रोष व्यक्त करते हुए अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद से कारण पृच्छा की मांग की गई। साथ ही इसे जल्द से जल्द बढ़ाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद)

7. मुख्यमंत्री विवाह मंडप योजना –जहानाबाद जिला अन्तर्गत कुल 05 ग्राम पंचायत क्रमशः मोदनगंज प्रखंड अन्तर्गत विशुनपुर ओकरी एवं कंसुआ, प्रखंड काको अन्तर्गत ग्राम पंचायत चालिसपुर एवं अमथुआ तथा प्रखंड मखदुमपुर प्रखंड के पुनासवा पंचायत को पंचायती राज विभाग के पत्रांक–13361/पं०रा० दिनांक–28.09.2025 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि इन पंचायतों में मिट्टी जाँच का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा विभाग से डी०पी०आर० प्राप्त होने पर तकनीकी प्राक्कलन बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 15 अन्य ग्राम पंचायतो क्रमशः परावन, साहोबिगहा, भारथु, सरसा, सुलेमानपुर भवानीचक, गोनवाँ, नीरू, चिरी, खुदौरी, दावथु, नोआवाँ, नारायणपुर, सिकन्दरपुर, मुरहारा एवं लाखापुर मे भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा शेष बचे सभी ग्राम पंचायतों मे भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।)

8. पंचायत सरकार भवन मे बायोमेट्रीक उपस्थिति :– माननीय मंत्री जी द्वारा समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिला अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवनों मे सभी पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रीक के माध्यम से कराते हुए सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी महोदया के स्तर से आदेश निर्गत किया गया है।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

9. ई–ग्राम कचहरी पोर्टल :– माननीय मंत्री जी द्वारा समीक्षा मे पाया गया कि कुल 88 पंचायतों में दिवानी के 659 मामले तथा फौजदारी के 192 मामले दर्ज पाये गये। माननीय मंत्री जी द्वारा इस संबंध मे सभी सरपंचो,पंचों एवं कचहरी सचिवों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हुए सभी वादों को ई–ग्राम कचहरी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

10. जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की समीक्षा :– जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, जहानाबाद के द्वारा 3040 लक्ष्य के विरुद्ध 2920 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 96.05% है। जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, जहानाबाद से ना तो नोडल पदाधिकारी, डी०पी०आर०सी०, जहानाबाद और न ही कोई अन्य कर्मी उपस्थित थे। अनुपस्थिति के संबंध में सभी से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– नोडल पदाधिकारी, डी०पी०आर०सी०)

11. उपयोगिता प्रमाण पत्र :– लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई, जिसे दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण रुप से विभाग को PRE-CFMS का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को जमा कराने हेतु जिला अंकेक्षण पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं सभी अंकेक्षको को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जहानाबाद)

12. जिला परिषद् के परिसम्पतियों की समीक्षा :– जिला परिषद् के परिसम्पतियो की समीक्षा की गई तथा परिसम्पतियों की विवरणी 15 अप्रेल, 2026 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद)

13. जिला परिषद के संसाधनों से प्राप्त आय :– माननीय मंत्री द्वारा जिला परिषद के संसाधनों से प्राप्त आय की भी समीक्षा की गई। जिसमें बताया गया कि जिला परिषद के संसाधन के अंतर्गत जहानाबाद जिले के शहरी क्षेत्र मे 317 दुकान है। माननीय मंत्री मे जिला परिषद के संसाधन के अंतर्गत संचालित दुकानों से किराया आ रहा है अथवा नहीं इसका प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही वैसे दुकान जो कई वर्षो से किराया नही दे रहे है वैसे डिफाल्टर को चिन्हित कर नोटिस करते हुए

14

सर्टिफिकेट जैसी वस्तु का तथा यह भी जांच कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया कि कितने दुकान मालिक द्वारा स्वयं चलाया जा रहा है अथवा कितने दूसरे को दे दिया गया है [illegible] भेज दिया गया है। वैसे लोगों को चिन्हित कर प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद)

14 **अतिक्रमित दुकानों के संबंध में** :– बैठक में बताया गया कि जिला परिषद के संसाधनों के अंतर्गत कई ऐसे स्थान है जहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे बार–बार हटाने के बाद भी लोग वहां पुन अतिक्रमण कर लेते है। माननीय मंत्री ने जिला परिषद के संसाधनों के अंतर्गत वैसे भूमि जहां अतिक्रमण है वह लोगो को चिन्हित कर अतिक्रमण वाद चलने का निर्देश दिया गया। साथ ही संबंधित थाना को गस्ती करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अतिक्रमण हटाने के बाद चाहर दीवारी करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद)

15 **पंचायत सरकार भवन**- बैठक मे बताया गया कि जहानाबाद जिले मे कुल 88 पंचायत है, जिसमे से 23 पंचायत मे पूर्व से पंचायत सरकार भवन निर्मित है। वर्तमान मे एल० ए० ई० ओ० द्वारा 32 पंचायत मे तथा बी सी डी द्वारा 30 पंचायत मे पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन, कसवॉं हेतु चयनित भूमि पर कार्यपालक अभियता, भवन निर्माण विभाग द्वारा भूमि को उपर्युक्त नही बताते हुए कार्य करने से मना किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा तीन सदस्यी समिति गठित कर (जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रण सगठन, जहानाबाद एवं भवन निर्माण विभाग, जहानाबाद) उपलब्ध भूमि के सदर्भ मे पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु तकनीकी व्यवहार्यता (Technical Feasibility) रिपोर्ट यथाशीघ्र जमा करने हेतु निदेशित किया गया ताकि पंचायत के द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु उचित निर्णय लिया जा सके। पंचायत सरकार भवन मकरपुर, प्रखंड–मखदुमपुर के संबंध में कार्य शुरू नहीं किये जाने बिन्दु पर पृच्छा के क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि पूर्व से चयनित किये गये भूमि पर मंदिर एवं अन्य विवाद के कारण उसी पंचायत में एक अन्य भूमि चयनित कर अचल अधिकारी के माध्यम से भूमि अभिलेख अपर समाहर्ता, जहानाबाद को पूर्व मे प्राप्त हुआ था, जिसमे उनके द्वारा अभिलेख को त्रुटि निराकरण हेतु अंचल अधिकारी को वापस किया गया है। माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि ग्रामीणों के द्वारा उन्हें पूर्व से चयनित भूमि पर किसी तरह का विवाद नही होने की बात बतायी गयी तथा नये रूप चिन्हित किये जाने वाले भूमि का पंचायत के बाहरी सीमा पर बिना आबादी वाले क्षेत्र अवस्थित होने के कारण पूर्व से चयन किये गये भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु निर्देश दिया गया। अन्य सभी पंचायतों में जहाँ–जहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है, नियमानुसार शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का निर्देश जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। पंचायत सरकार भवन उतर सेरथु के निर्माण कार्य को नगवॉं गॉव मे कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

6/4/26		6/4/26	06/04/26
कार्यपालक अभियता, भवन प्रमडल, जहानाबाद।	कार्यपालक अभियता, स्था०क्षेत्र०अभि०सगठन, जहानाबाद।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद।

(105)

समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला पंचायत शाखा)

पत्रांक– 662 / जि०पं० दिनांक– 10/04/2026

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
जहानाबाद।

विषय :– पंचायत सरकार भवन, मकरपुर, प्रखंड–मखदुमपुर में चयनित भूमि के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–446, दिनांक–19.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि पूर्व में जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–2478, दिनांक–02.11.2023 से प्रखंड–मखदुमपुर अन्तर्गत पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु गुलजारबाग टोला, मौजा–मकरपुर, थाना संख्या–268, खाता संख्या–199, खेसरा संख्या–399, रकवा–45 डी० भूमि का विवरण पूर्व में निदेशक पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजा जा चुका है।

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–20.03.2026 को जहानाबाद जिला के सभा कक्ष में विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि चूंकि ग्रामीणो के द्वारा उन्हें पूर्व मे चयनित गुलजारबाग टोला अवस्थित भूमि पर किसी तरह का विवाद नही होने की बात बताई गयी एवं नये रूप चिन्हित किये जाने वाले भूमि मौजा–मकरपुर, थाना नं०–268, खाता नं०–199, खेसरा सं०–1908, रकवा–51 डी०, गैरमजरूआ मालिक का पंचायत के बाहरी सीमा पर बिना आबादी वाले क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण पूर्व मे चयनित किये गये भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु निर्देश दिया गया है। (माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग के बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न)

अत: माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/4/26

अंचल अधिकारी,
मखदुमपुर

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जहानाबाद।

C:\SANJAY SIR NAZIR\2026\April, 26.docx

16

(164)

समाहरणालय जहानाबाद

Email-adm.jeh.bih@gmail.com
वेबसाइट -
दूरभाष 06114-223142

पत्रांक- / रा0 (जिला राजस्व शाखा) दिनांक- मी0 मई ,2026

जिला पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय 12 MAY 2026 जहानाबाद

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
जहानाबाद।

सेवा में,

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड के मौजा-मकरपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक-5637/पं0रा0, दिनांक-20.08.2022 एवं 8354/पं0रा0, दिनांक-30.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों से प्राप्त निदेश के आलोक में पंचायत सरकार भवन,मकरपुर प्रखंड-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद के भवन निर्माण हेतु अंचल मखदुमपुर के मौजा-मकरपुर थाना नं0-268 खाता सं0-199, प्लॉट नं0-1908, रकबा-0.50 डी0, भूमि गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम का निःशुल्क अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रदान की गई है।

अतः पत्र के साथ भू-हस्तांतरण स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न कर भवदीय की सेवा में भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

समाहर्त्ता,
जहानाबाद

ज्ञापांक:- 1124/रा0, जहानाबाद, दिनांक:- 11/5/26

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मखदुमपुर को पारित आदेश के मूल प्रति एवं मूल अभिलेख संख्या-1/25-26 के साथ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि पारित आदेश के अनुरूप भूमि चिहिन्त कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

समाहर्त्ता,
जहानाबाद

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

अभिलेख उपस्थापित। प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक--5637/पं0रा0, दिनांक–20.08.2022 एवं 8354/पं0रा0, दिनांक–30.08.2022 के द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है।

उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद का पत्रांक–303/रा0, दिनांक–01.4.2026 के द्वारा अंचल कार्यालय मखदुमपुर का अभिलेख सं0–01/2025–2026 के द्वारा अंचल–मखदुमपुर अंतर्गत मौजा–मकरपुर थाना नं0–268 खाता नं0–199 खेसरा स0–1908, कुल रकवा–03 एकड़ 51 डी0 गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि मे से पंचायत सरकार भवन मकरपुर निर्माण हेतु कुल रकबा–0.50 एकड़ का प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है। जिसमें भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

सर्वे खतियान के अनुसार भूमि				किस्म	प्रस्तावित भू–खण्ड का विवरण				
मौजा/थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा	जमीन	खाता	प्लॉट	रकबा	खतियान में भूमि का स्वरूप	चौहद्दी
मकरपुर 268	199	1908	03 एकड़ 51 डी0	गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम	199	1908	0.50 ए0	परती कदीम	उ0–खेसरासं0–1936 द0– पक्की सड़क पू0– अंश भाग प0– अंश भाग

उपरोक्त भूमि का विवरण प्राप्त अभिलेख में अंकित है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सी0एस0 खतियान के अनुसार गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम है। वर्णित भूमि पर पंचायत सरकार भवन,मकरपुर प्रखंड–मखदुमपुर का भवन निर्माण के लिए उपयुक्त है। प्रस्तावित भूमि भू–दान,भू–हदबन्दी, सैरात, वन क्षेत्र,श्मशान,जल स्त्रोत,देवस्थल एवं न्यायालीय विवाद से मुक्त है। अभिलेख के साथ चेक स्लिप, सी0एस0 खतियान की सच्ची प्रति एवं नजरी नक्शा की तीन–तीन प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है।

अंचल अधिकारी, मखदुमपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा पंचायत सरकार भवन,मकरपुर प्रखंड–मखदुमपुर के लिए उपरोक्त वर्णित भू–खण्ड को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू–हस्तांतरण की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी,मखदुमपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अनुशंसा तथा राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–359(6)/रा0दिनांक–19.05.2014 के कंडिका (क) में उल्लेखित है कि तीन एकड़ तक सरकारी/गैर मजरूआ आम भूमि का अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण चाहे वे जिस उद्देश्य से हो, की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्योजित की जाती है, के निहित प्रावधानो के तहत पंचायत सरकार भवन,मकरपुर प्रखंड–मखदुमपुर के भवन निर्माण हेतु अभिलेख में वर्णित भूमि, मौजा–मकरपुर, थाना नं0–268 खाता नं0–199 प्लॉट नं0–1908, कुल रकवा–03 एकड़ 51 डी0 में से रकवा–0.50 एकड़ भूमि गैर मजरूआ मालिक स्वरूप–परती कदीम है, को पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू–हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं रहने पर पूर्ववत यह भूमि राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी

आदेश की प्रति सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जहानाबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
जहानाबाद।